भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2470
सोमवार, 18 दिसंबर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक)

अवसंरचना क्षेत्र द्वारा संगठित/असंगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन

2470. श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अवसंरचना क्षेत्र द्वारा संगठित और असंगठित क्षेत्र में सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान संगठित और असंगठित क्षेत्र के लिए रोजगार सृजित करने के लिए अवसंरचना क्षेत्र के विकास हेतु कोई प्रयास किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है;
(घ) क्या विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पहुंच से दूर हैं;
(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का श्रमिकों के कल्याण की योजनाओं के बारे में जागरूकता अभियान चलाने का विचार है; और
(च) विगत तीन वर्षों के दौरान ओडिशा और तमिलनाडु के संगठित और असंगठित क्षेत्र के कितने मजदूर उक्त योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित प्रमुख उद्योगों में वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान रोजगार में वृद्धि हुई है। विनिर्माण क्षेत्र में कामगारों का प्रतिशत वर्ष 2020-21 में 10.9% की तुलना में बढ़कर वर्ष 2022-23 में 11.4% हो गया है। निर्माण क्षेत्र में कामगारों का प्रतिशत 2020-21 में 12.1% की तुलना में बढ़कर वर्ष 2022-23 में 13.0% हो गया है।

इसके साथ-साथ, श्रम ब्यूरो द्वारा त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) आयोजित किया जाता है जिसका उद्देश्य क्रमबद्ध तिमाहियों में, भारत की गैर-कृषि अर्थव्यवस्था के चयनित नौ क्षेत्रों के संबंध में रोजगार की स्थिति का आकलन करना है। ये चयनित नौ क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तरां, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और वित्तीय सेवाएं हैं। क्यूईएस के चौथे दौर (जनवरी-मार्च, 2022) के अनुसार इन चयनित नौ क्षेत्रों में रोजगार 3.18 करोड़ था, जबकि छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) के अनुसार इन क्षेत्रों में कुल रोजगार 2.37 करोड़ था। क्यूईएस के चौथे दौर (जनवरी-मार्च, 2022) के अनुसार, इन चयनित नौ क्षेत्रों में अनुमानित कुल रोजगार में से विनिर्माण क्षेत्र में 38.5% और निर्माण क्षेत्र की 1.9% की हिस्सेदारी है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) क्रमशः 54.9%, 55.2% और 57.9% थी, जो देश में श्रम बल की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

सरकार ने असंगठित कामगारों के पंजीकरण और एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल शुरू किया है। इसमें एक व्यक्ति स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कर सकता है और इसमें लगभग 400 व्यवसाय है। दिनांक 12.12.2023 तक, ई-श्रम पोर्टल पर विभिन्न व्यवसाय के तहत असंगठित कामगारों का कुल पंजीकरण ओडिशा और तमिलनाडु में क्रमशः 1.33 करोड़ और 85.44 लाख है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंकडें, औपचारिक क्षेत्र के मध्यम और बड़े प्रतिष्ठानों में कम वेतन वाले कामगारों को कवर करते हैं। ईपीएफओ की सदस्यता में शुद्ध वृद्धि, रोजगार बाजार के औपचारिकरण तथा संगठित/अर्ध-संगठित क्षेत्र के कार्यबल तक सामाजिक सुरक्षा लाभों की कवरेज, का एक संकेतक है। वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान ओडिशा और तमिलनाडु में ईपीएफ अंशधारकों में शुद्ध वृद्धि निम्नानुसार हैः

शुद्ध वेतन वृद्धि (संख्या में)		
वर्ष	**ओडिशा**	**तमिलनाडु**
2020-21	1,00,361	6,64,278
2021-22	1,67,483	12,84,986
2022-23	2,19,180	14,05,171

स्रोत: ईपीएफओ पे-रोल डेटा

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों सहित, देश भर में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

ढांचागत और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष, 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में की गई यह पर्याप्त वृद्धि, सरकार के प्रयासों का केंद्र बिन्दु है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 23.09.2023 तक, योजना के तहत 60.47 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। ओडिशा में वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 (दिनांक 24.11.2023 तक) की अवधि के दौरान 89,354 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। तमिलनाडु में वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 (दिनांक 24.11.2023 तक) की अवधि के दौरान 8.18 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत दिनांक 23.11.2023 तक, 78.08 लाख ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। ओडिशा में, इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 (दिनांक 22.11.2023 तक) की अवधि के दौरान 84,314 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। तमिलनाडु में, इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 (दिनांक 22.11.2023 तक) की अवधि के दौरान 4.87 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, दिनांक 17.11.2023 तक 44.41 करोड़ से अधिक ऋण खाते स्वीकृत किए गए हैं। ओडिशा में, इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 (दिनांक 24.11.2023 तक) की अवधि के दौरान 1.32 करोड़ ऋण खाते स्वीकृत किए गए। तमिलनाडु में, इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 (दिनांक 24.11.2023 तक) की अवधि के दौरान 2.11 करोड़ ऋण खाते स्वीकृत किए गए।

सरकार द्वारा, वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

इसके साथ-साथ, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****